


Form-III  
फर्द अहकाम

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी, जिला बांसवाड़ा  
अन्नकुंवर पत्नि सज्जनसिंह जाति रावणा राजपुत बनाम तहसीलदार, गढ़ी  
निवासी मोर तह0 गढ़ी  
किस्म मुकदमा:- अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

प्रकरण संख्या: 206/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
11.11.2021	पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रार्थीया अन्नकुंवर पत्नि सज्जनसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी मोर तह0 गढ़ी जिला बांसवाड़ा द्वारा अप्रार्थी तहसीलदार गढ़ी जिला बांसवाड़ा के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी के नाम सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 18.11.2021 को पेश हो।	
18.11.21	<p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी गढ़ी</p> <p>पत्रावली "आमन गौबरे के संग अक्रियान-2021" के दौरान आम्बेरीय विविड स्थल ग्राम पंचायत-मोड पर पेश हुई। उक्त स्थल में तहसीलदार, गढ़ी, भू. भ. सी. मितवाल पटवारी इल्का-मोड की सशुद्ध जांच रिपोर्ट उद्धृत होकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग-जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 11 (25) भा. 1 (पू. 1) राजस्थान/ 6230 दिनांक 06.8.1994 का उल्लंघन करते हुए क्र. सं. 11 पर दोगा, रावणा, राजपुत इज्जरी एवं बजौर की अधिसूचित किया जाने तथा उक्त जांचे जाति रावणा-राजपुत वर्ग की इलाका प्रवगत करते हुए प्रार्थीया की जाति रावणा-राजपुत कर्तव्य करने की रिपोर्ट उद्धृत हुई।</p> <p>भू. भ. सी. मितवाल द्वारा उद्धृत जांचना-पत्र संलग्न अक्रियान, राज्य सरकार की अधिसूचना तथा तहसीलदार गढ़ी की रिपोर्ट अगुमाद पत्रावली इल्का-मोड के मोड-मोड की स्वता संख्या 66 (नई) 08 (प्रधानी) में दर्ज जाति- इज्जरी के स्थान पर रावणा-राजपुत - दर्ज करने तहसीलदार गढ़ी की आदेशित किया जाता है।</p> <p>निर्णय भाग दिनांक 18.11.21 को जारी किया गया।</p>	

१

उपखण्ड अधिकारी  
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा